भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 394

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- फसल बीमा

394. डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश में विभिन्न बीमा कंपनियों के माध्यम से फसल बीमा करा रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश भर में कितने किसानों की फसलों का बीमा कराया गया है और उन्हें उक्त कंपनियों द्वारा मुआवजा दिया गया है;
(घ) क्या सरकार को कंपनियों के विरुद्ध मुआवजे और मुआवजे में विलंब के मामलों के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (ग): जी हाँ। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2016 सीजन से देश में शुरू किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा पैनलबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तथापि, विशिष्ट बीमा कंपनी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। महाराष्ट्र वर्ष 2016 से इस योजना को नियमित रूप से क्रियान्वित कर रहा है।

पिछले 5 वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.12.2024 तक) के दौरान योजना के अंतर्गत जिन किसानों की फसलों का बीमा किया गया है और जिनके दावों का भुगतान किया गया है, उनकी संख्या का विवरण निम्नलिखित तालिका पर दिया गया है:

वर्ष	फसल बीमा हेतु नामांकित किसानों आवेदनों की संख्या (संख्या में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)
2019-20	6,17,33,490	27,911.32
2020-21	6,22,61,955	21,224.74
2021-22	8,29,79,506	20,844.77
2022-23	11,21,18,132	18,211.73
2023-24	14,29,45,872	15,504.87

पिछले 5 वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में बीमित किसान आवेदन और भुगतान किए गए दावों की संख्या का जिला-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध- I और II** पर दिया गया है।

(घ) और (ङ): बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित

राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के ऑपरेशनल गाइडलाइंस में प्रत्येक स्टेकहोल्डर्स की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के ऑपरेशनल गाइडलाइंस के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बीमा कंपनियों के विरुद्ध दावों का भुगतान न करने और/या विलंब से भुगतान करने, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का कम भुगतान करने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की निधि प्रदान करने में विलंब, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न करने आदि के बारे में कुछ शिकायतें पहले भी प्राप्त हुई हैं, जिनका योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित तरीके से समाधान किया गया है।

चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित शिकायतों का निपटान करने के लिए योजना के संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइंस में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को ऑपरेशनल गाइडलाइंस में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों को हल करने की समय-सीमा भी तय की गई है। आज तक केआरपीएच पर 95.03 लाख कॉल प्राप्त हुई हैं। इनमें से 29.35 लाख मुद्दों से संबंधित ई-टिकट तैयार किए गए और बीमा कंपनियों को कार्रवाई के लिए भेजे गए। बाकी मुद्दे या तो सूचनात्मक थे या जानकारी मांगने वाले थे। 29.35 लाख मुद्दों से संबंधित ई-टिकट तैयार किए गए, जिनमें से 29.12 लाख (99%) का समाधान किया जा चुका है। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एकीकृत मंच पर स्टेकहोल्डर्स की शिकायतों की निगरानी करने में मदद मिली है।

अनुबंध-I

पिछले 5 वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पी.एम.एफ.बी.वाई. और आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अंतर्गत महाराष्ट्र में बीमित किसान आवेदनों की संख्या का जिलावार विवरण (दिनांक 31.12.2024 तक)

जिले का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल जिले (पिछले 5 वर्ष)
अहमदनगर	7,88,517	6,32,518	3,41,781	2,56,274	18,16,745	38,35,835
अकोला	2,83,627	2,82,746	3,04,603	3,40,948	5,98,952	18,10,876
अमरावती	2,16,964	2,19,451	1,98,323	2,33,924	5,70,734	14,39,396
औरंगाबाद	12,65,728	8,92,629	6,05,409	7,82,286	14,49,982	49,96,034
भंडारा	1,64,501	1,87,171	1,50,754	1,34,738	2,65,930	9,03,094
बिड	21,22,489	21,71,451	15,53,805	17,67,819	30,48,091	1,06,63,655
बुलढाणा	2,63,242	3,20,566	2,56,011	3,73,335	10,42,920	22,56,074
चंद्रपुर	89,071	98,322	59,080	68,789	3,50,645	6,65,907
धुले	84,881	68,174	56,207	70,540	3,18,847	5,98,649
गडचिरोली	36,305	37,294	32,126	26,364	1,26,389	2,58,478
गोंदिया	71,001	57,783	16,136	17,143	2,41,564	4,03,627
हिंगोली	3,51,031	3,23,546	3,99,359	4,06,492	7,17,009	21,97,437
जलगांव	1,49,988	2,12,872	2,05,368	2,69,318	5,70,841	14,08,387
जलना	15,82,484	9,88,061	6,73,876	8,86,041	16,71,867	58,02,329
कोल्हापुर	808	3,675	6,380	6,373	56,129	73,365
लातूर	11,02,796	12,12,459	11,23,437	9,61,104	13,85,230	57,85,026
नागपुर	59,887	38,908	22,830	34,084	2,84,109	4,39,818
नांदेड़	13,41,536	10,51,087	9,88,260	12,25,277	16,91,970	62,98,130
नंदुरबार	18,301	12,166	13,839	12,752	1,56,284	2,13,342
नासिक	2,29,182	2,96,942	1,52,806	1,75,680	6,89,914	15,44,524
उस्मानाबाद	14,97,304	10,16,291	7,98,408	7,21,384	14,75,177	55,08,564
पालघर	***28,628***	***43,063***	***28,256***	***23,336***	***60,836***	***1,84,119***
परभनी	9,63,982	7,61,936	7,48,411	7,13,134	12,67,406	44,54,869
पुणे	46,807	40,194	20,537	13,418	3,26,771	4,47,727
रायगढ़	9,776	17,922	17,087	15,273	67,670	1,27,728
रत्नागिरि	21,958	25,840	30,280	35,614	56,375	1,70,067
सांगली	2,10,672	1,30,353	51,254	45,784	4,40,846	8,78,909
सतारा	81,245	45,852	19,111	10,507	2,71,848	4,28,563
सिंधुदुर्ग	18,003	26,812	37,616	49,261	82,154	2,13,846
सोलापुर	5,89,978	3,38,358	2,85,867	2,37,289	10,69,319	25,20,811
थाइन	16,714	38,399	51,889	49,159	1,02,501	2,58,662
वर्धा	36,520	32,365	16,793	29,059	2,69,404	3,84,141
वाशिम	2,94,139	2,86,177	2,60,459	2,87,752	5,96,613	17,25,140
यवतमाल	5,28,166	4,94,988	3,76,224	4,53,772	10,43,686	28,96,836
महाराष्ट्र कुल	**1,45,66,231**	**1,24,06,368**	**99,02,582**	**1,07,34,023**	**2,41,84,758**	**7,17,93,962**

अनुबंध-II

पिछले 5 वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पी.एम.एफ.बी.वाई. और आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अंतर्गत महाराष्ट्र में भुगतान किए गए दावों का जिलावार विवरण (दिनांक 31.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार)						
जिले का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**कुल जिले (पिछले 5 वर्ष)**
	(रुपए करोड़ में)					
अहमदनगर	394.62	19.65	66.96	88.68	1,249.39	1,826.33
अकोला	167.79	81.35	164.04	169.10	227.83	813.11
अमरावती	279.07	83.33	93.87	294.25	94.77	850.26
औरंगाबाद	398.37	37.89	143.70	318.70	414.79	1,320.55
भंडारा	67.33	4.29	2.10	0.05	9.39	84.36
बिड	684.83	22.37	444.38	406.58	445.75	2,016.11
बुलढाणा	233.27	90.98	96.66	285.50	279.17	989.74
चंद्रपुर	28.18	31.19	7.01	16.07	216.63	299.57
धुले	111.73	5.72	44.56	26.35	93.44	283.79
गडचिरोली	14.00	9.02	5.96	3.96	1.96	35.15
गोंदिया	10.35	2.39	1.50	3.42	10.03	27.87
हिंगोली	125.71	105.26	103.89	136.15	109.85	583.10
जलगांव	576.50	42.56	631.34	226.61	712.86	2,200.15
जलना	210.45	63.11	172.60	229.63	340.22	1,019.76
कोल्हापुर	0.27	0.56	2.97	2.12	0.74	6.68
लातूर	804.25	120.84	371.11	460.10	393.98	2,164.62
नागपुर	14.12	12.62	12.07	15.58	137.92	192.56
नांदेड़	390.51	129.33	509.81	624.78	490.63	2,152.02
नंदुरबार	11.80	1.68	11.26	5.41	125.60	155.96
नासिक	215.76	73.41	58.32	26.40	1,026.07	1,403.81
उस्मानाबाद	590.59	65.01	366.21	749.15	322.28	2,103.76
पालघर	**43.08**	**34.43**	**13.46**	**2.18**	**3.34**	**97.26**
परभनी	308.07	88.66	742.95	218.28	541.44	1,904.88
पुणे	36.57	3.37	6.31	1.49	61.92	110.30
रायगढ़	33.71	31.30	22.24	0.19	1.40	89.44
रत्नागिरि	82.95	59.01	87.82	0.25	0.08	231.57
सांगली	134.88	14.70	32.17	7.23	149.32	340.71
सतारा	27.28	0.87	8.85	0.48	114.46	152.43
सिंधुदुर्ग	54.05	51.61	76.39	0.64	1.16	184.81
सोलापुर	246.90	120.47	157.29	167.58	252.72	949.35
थाइन	16.23	39.42	17.44	2.01	2.62	78.00
वर्धा	5.54	15.22	0.87	30.52	124.20	176.45
वाशिम	149.99	22.86	40.08	141.27	206.85	563.72
यवतमाल	289.59	75.17	97.28	371.45	329.69	1,168.34
महाराष्ट्र कुल	**6,758.35**	**1,559.65**	**4,613.47**	**5,032.19**	**8,492.49**	**26,456.15**

*****